

**नेशनल लोक अदालत दिनांक : 08/04/2017**

आवेदिका सुमन सहित श्री उदल सिंह अधिवक्ता।

अनावेदक सोनू सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आवेदिका सुमन पत्नी सोनू, अवस्यक बेटू पुत्री सोनू की ओर से उसकी माँ सुमन, निवासी :- पोरसा, हाल निवासी :- बेहट रोड़ मौ वार्ड क्रमांक 14, तहसील :- गोहद, ने उसके अधिवक्ता श्री उदल सिंह तथा अनावेदक सोनू पुत्र मुकेश निवासी :- रैपुरा, हाल-पोरसा, ने उसके अधिवक्ता श्री आर.सी.यादव के साथ उपस्थित राजीनामा प्रस्तुत किया।

आवेदिका सुमन एवं अनावेदक सोनू धारा 125 द.प्र.सं. के प्रकरण में राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है। अवस्यक आवेदिका बेटू की ओर से उसकी माँ आवेदिका सुमन उसकी प्राकृतिक संरक्षक होने के कारण प्रकरण में राजीनामा करने के लिए सक्षम पक्षकार है। आवेदिका सुमन की पहचान श्री उदल सिंह अधिवक्ता एवं अनावेदक सोनू की पहचान श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता द्वारा की है।

उभय पक्ष को सुना गया। उभय पक्ष द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा करना स्वीकार किया गया है। उभय पक्ष द्वारा उनके राजीनामे में यह लेख किया गया है कि भविष्य में एक-दूसरे के मध्य मधुर संबंध बने रहे, इस कारण वह प्रकरण में किसी भी प्रकार को कोई कार्यवाही संचालित रखना नहीं चाहते हैं। आवेदिका सुमन एवं उसकी पुत्री बेटू अनावेदक सोनू उर्फ मुकेश के साथ सुखपूर्वक निवास कर रही है। इसलिए प्रकरण को इसी प्रास्थिति पर निरस्त किया जाये। उभयपक्ष की ओर से आवेदक एवं अनावेदक द्वारा हस्ताक्षरित एवं रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकारते हुए आवेदिका सुमन एवं बेटू का आवेदन अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. उक्त राजीनामे के आलोक में अनावेदक सोनू उर्फ मुकेश के विरुद्ध निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर  
प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
02. के.पी.राठौर अधिवक्ता (सदस्य) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
जिला भिण्ड